रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 25, 2016/वैशाख 5, 1938
No. 284] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 25, 2016/VAISAKHA 5, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 440(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी पेंशन (दूसरा संशोधन) स्कीम, 2016 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के पैरा 12 में, उप पैरा (7क) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(7ख) (क) ऐसा कोई सदस्य जिसने अट्ठावन वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और इस पैरा के उप पैरा (1) के खंड (क) के अधीन पेंशन के लिए अन्यथा पात्र है, यदि वह ऐसी वांछा करता है तो उसे आयु के अट्ठावन वर्ष के पश्चात् किंतु साठ वर्ष के अपश्चात् पेंशन प्राप्त करने की आयु को आस्थगित करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा;

(ख) ऐसी दशाओं में जो खंड (क) में निर्दिष्ट हैं,-

(i) पेंशन की रकम अट्ठावन वर्ष की आयु के पश्चात् प्रत्येक संपूर्ण वर्ष के लिए चार प्रतिशत की दर पर बढ़ाई जाएगी जो पैरा 3 के उप पैरा (2) के परंतुक के अधीन दी गई मजदूरी सीमा तक निर्बंधित होगी;

(ii) सदस्य को, अपने विकल्प पर, उस अवधि के लिए जिसके लिए पेंशन का आहरण आस्थगित किया गया है, कर्मचारी पेंशन निधि में पैरा 3 के अधीन अंशदान जारी रखने के लिए भी अनुज्ञात किया जा सकेगा, यदि सदस्य अट्ठावन वर्ष के पश्चात् नियोजन में बना

रहता है और उप पैरा (2) के अधीन पेंशन के अवधारण के प्रयोजन के लिए पेंशनी सेवा और पेंशनी वेतन की उस अवधि के लिए हिसाब में गणना की जाएगी जिसके लिए अंशदान अट्ठावन वर्ष की आयु के पश्चात् किंतु साठ वर्ष की आयु के अपश्चात् किए गए थे;

(iii) ऐसे सदस्य की मृत्यु की दशा में जिसने अट्ठावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् और इस प्रकार आस्थगित पेंशन के प्रारंभ से पूर्व इस पैरा के अधीन पेंशन प्राप्त करने की आयु आस्थगित करने का विकल्प लिया है, सदस्य का कुटुंब सदस्य की मृत्यु की तारीख से बाद की तारीख से पैरा 16 के पैरा 1 के खंड (ग) के अधीन पेंशन का इस प्रकार हकदार होगा मानों सदस्य की मासिक पेंशन सदस्य की मृत्यु की तारीख को प्रारंभ हुई हो ।"।

[फा. सं. आर. 15011/3/2016-एसएस-II]

मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1955, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. 748(अ), तारीख 16 नवंबर, 1995 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार उसमें अधिसूचना सं. सा.का.नि. 387(अ) तारीख 01 अप्रैल, 2016 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2016

G.S.R. 440(E).—In exercise of powers conferred by section 6A read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Pension Scheme, 1995, namely :-

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Pension (Second Amendment) Scheme, 2016.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Employees' Pension Scheme, 1995 in paragraph 12, after sub-paragraph (7A), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(7B) (a) A member who has attained the age of fifty-eight years and is otherwise eligible for pension under clause (a) of sub-paragraph (1) of this paragraph, if he so desires, may be allowed to defer the age of drawing pension later than fifty-eight years but not beyond sixty years of age.

(b) In such cases as is referred to in clause (a),-

(i) the amount of pension shall be increased at the rate of four per cent. for every completed year after the age of fifty-eight years which shall be restricted to the wage ceiling given under the proviso to sub-paragraph (2) of paragraph 3;

(ii) the member, at his or her option, may also be allowed to continue contributions under paragraph 3 to the Employees' Pension Fund for the period for which the drawal of pension has been deferred, if the member is continuing in employment after the age of fifty-eight years, and the pensionable service and pensionable salary for the purpose of determination of pension under sub-paragraph (2) will be reckoned taking into account the period for which contributions were made after the age of fifty-eight years but not beyond the age of sixty years;

(iii) in the event of death of the member, who has opted for deferring the age of drawing pension under this sub-paragraph, after attaining the age of fifty-eight years and before the commencement of the pension so deferred, the family of the member will be entitled to pension under clause (c) of sub-paragraph (1) of

paragraph 16 from the date following the date of death of the member as if the member monthly pension had commenced on the date of death of the member.".

[F. No. R-15011/3/2016-SS-II]

MANISH KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Note : The Employees' Pension Scheme, 1995 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 748 (E) dated 16th November, 1995 and was lastly amended vide notification number G.S.R.387(E) dated 1st April, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.